

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/प्रांर/पंविप/5-8/प्राशिअमू/दिशानिर्देश/2024-25

दिनांक:—यथा ई हस्ताक्षर

पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर	वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), NIC, शिक्षा संकुल जयपुर	निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), समस्त	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त

विषय:—प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2025 हेतु दिशा-निर्देशों के क्रम में।

प्रसंग:— शासन का पत्र क्रमांक प.17.(30)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक 21.01.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदन पत्र के क्रम में लेख है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2025 के सुव्यवस्थित एवं सुचारु संचालन के क्रम में सामान्य दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्न:—उपर्युक्तानुसार (दिशा-निर्देश)

(सीताराम जाट)

I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/प्रांर/पंविप/5-8/प्राशिअमू/दिशानिर्देश/2024-25

दिनांक:—यथा ई हस्ताक्षर

प्रतिलिपि:

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- सचिव मदरसा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
- जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि., समस्त।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- अनुभाग अधिकारी, शैक्षिक/बजट/पी.एस.पी./एस.आई.क्यू.ई. कार्यालय हाजा।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
- उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, शिक्षा संकुल, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं

पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर
Digitally Signed by SITA
RAM JAT
Designation: Director
Date :12-02-2025 01:00:35

Digitally Signed by SITA
RAM JAT
Designation: Director
Date :12-02-2025 01:00:35

Digitally Signed by SITA

RAM JAT

Designation: Director

Date :12-02-2025 01:00:35

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2025 हेतु दिशा-निर्देश

1. **नाम (Name) :** प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, 2025 (Primary Education Learning Level Evaluation 2025)

2. **मूल्यांकन के प्रतिभागी (Participants):** राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम), मदरसों एवं अन्य समकक्ष विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर)।

विशेष — उक्तानुसार वर्णित समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा।

3. **पृष्ठभूमि व उद्देश्य :-**

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन प्रथम बार सत्र 2016—17 में हुआ। कक्षा 5 के विद्यार्थियों हेतु आयोज्य इस मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना।
- कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार करना।
- शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर तदनुसार ही सुधार हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल डिजाइन कर लागू करना।

यह मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा/एस.ए. -3 (सी.सी.ई. विद्यालय) के स्थान पर आयोजित किया जाएगा। जिला स्तर पर इस मूल्यांकन का आयोजन, संचालन, परीवीक्षण एवं प्रबोधन सम्बन्धित डाईट्स के द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन पत्रक निर्माण, मॉडरेशन एवं मुद्रण राज्य स्तर पर किया जाएगा। मूल्यांकन के सुव्यवस्थित नियोजन, आयोजन एवं संचालन के लिए जिला स्तर पर डाईट्स अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी।

गत वर्ष तक आयोजित होते रहे उक्त मूल्यांकन के लिए पूर्व में विभिन्न अभिकरणों को सौंपे गये परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों एवं प्रक्रिया के स्थान पर वर्ष 2025 में आयोज्य मूल्यांकन हेतु नये सिरे से विभिन्न विभागों/संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व/कार्यों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

4. **निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-**

- परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
- कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) के लिए पूर्व में गठित प्रकोष्ठ के अतिरिक्त परीक्षा के ऑनलाईन, प्रबोधन एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।
- परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।
- कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवंटन करना।

Signature valid



Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

- परीक्षा को लेकर बजटीय प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर का सहयोग प्रदान करना।
 - पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिए क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों को नियुक्त इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।
- 5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्व**
- मुख्य व पूरक परीक्षा हेतु दक्षता आधारित मूल्यांकन पत्रक (प्रश्न पत्र बुकलेट) निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, मूल्यांकन पत्रक निर्माणकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर को सहयोग प्रदान करना।
 - प्रश्न पत्र बुकलेट निर्माण, मॉडरेशन सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित करना।
 - बैठकों, कार्यशालाओं, वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर को यथा आवश्यकता सहयोग प्रदान करना।
- 6. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :-**
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाइस डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना।
 - कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाना। निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर एवं RSCERT, उदयपुर के लॉगिन पर उक्त विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाना।
 - कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित राजकीय विद्यालयों के लिए उक्त मूल्यांकन में समुचित प्रावधान कराने हेतु स्पष्ट निर्देश, आवश्यकतानुसार RSCERT, उदयपुर एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्धित अधिकारियों एवं यथा आवश्यकता अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के साथ मिलकर तैयार करना।
 - कक्षा 5 में सी.सी.ई. संचालित सभी राजकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों में SA-1 एवं SA-2 के अंकों को समेकित करने के लिए तैयार Formula की पहुंच सुनिश्चित करना।
 - संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्रा.शि./मा.शि./डाइट्स/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/विद्यालयों एवं परीक्षा से सम्बन्धित अन्य अभिकरणों/संगठनों हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि अधिकृत वेब पोर्टल (education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना।
- 7. NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व:-**
- मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त अभिकरणों/संगठनों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा (मूल्यांकन) की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिये विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण पोर्टल पर नियंत्रित एवं क्रियान्वित करना।
 - RSCERT, उदयपुर एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर द्वारा विनिर्दिष्ट समस्त प्रकार के ऑनलाइन कार्यों हेतु सहयोग प्रदान करना।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

- निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि., निदेशक, RSCERT, उदयपुर व पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर द्वारा समय-समय पर की जाने वाली मांग के अनुसार समुचित सहयोग करना।
- ऑनलाइन आवेदन कराने, आवेदन पत्र में विद्यार्थी की श्रेणी और विद्यालय की श्रेणी की मैपिंग, नामांक जारी कराने, प्रवेश पत्र जारी करने, सत्रांक फीडिंग कराने, मूल्यांकन उपरान्त प्राप्तांकों की ऑनलाइन फीडिंग कराने, परिणाम जारी कर **प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका**, क्रमोन्नत प्रमाण पत्र जारी कराने तथा टी.आर. तैयार कराने से सम्बन्धित समस्त कार्यों को क्रियान्वित एवं नियंत्रित करना।
- मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त प्रकार के ऑनलाइन प्रपत्र तैयार कर जारी करना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से प्रत्येक डाइट को विद्यालय का श्रेणीवार (राजकीय/गैर राजकीय/राजकीय संस्कृत/निजी संस्कृत/मदरसा)सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।
- पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन से डाइट को परीक्षार्थियों की संख्या वर्गवार, लिंगवार (छात्र एवं छात्रा) सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।
- परीक्षा आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर अद्यतन करना। पुनर्गणना कार्यों में **पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर** शिक्षा विभाग शालादर्पण एवम् पूरक परीक्षा के कार्यों में डाइट को अपेक्षित सहयोग करना।
- डाईट लॉगिन पर प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल निर्माण करना।

8. कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व :-

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के आयोजन, संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन में एक नोडल अभिकरण के रूप में निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, RSCERT, NIC, शिक्षा संकुल जयपुर, डाइट्स एवं अन्य जिला कार्यालयों के मध्य पारस्परिक समन्वयन करना।
- यथा सम्भव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन (मुख्य व पूरक परीक्षा) करवाने, संग्रहण केन्द्रों का निर्धारण करवाने, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाने, परीक्षा नामांक जारी करवाने, वीक्षकों/परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/आवण्टन करवाने, सत्रांक प्रविष्ट करवाने, मूल्यांकन करवाने, शाला दर्पण पर परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं के स्टाफ विण्डो लॉगिन द्वारा प्राप्तांक प्रविष्टि करवाने, परीक्षा परिणाम तैयार करवाने, परीक्षा परिणाम घोषणा करवाने, टी. आर. तैयार करवाने, **प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका** व क्रमोन्नत प्रमाण पत्र जारी करवाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सम्बन्धित अभिकरणों/कार्यालयों में निरन्तर पारस्परिक समन्वय स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं का नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।
- सम्बन्धित आदेश-निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट (education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना। इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।
- **प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2025 के प्रश्न पत्र बुकलेट (मूल्यांकन पत्रक) मुद्रण एवं वितरण करना।**
- परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

- परीक्षा आयोजन के लिए आवश्यकतानुसार समिति निर्माण, नियन्त्रण-कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लेना।
- राज्य स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर सूचना संकलन करना एवं तदनुसार प्रशासनिक नियन्त्रण एवं प्रबोधन करना।
- परीक्षा/मूल्यांकन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उसका तुरन्त नियमानुसार निराकरण करना अथवा आवश्यक होने पर निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रारंभिक शिक्षा को अवगत करवाते हुए उसका निस्तारण करवाना।
- आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करवाना।
- मूल्यांकन (परीक्षा) कार्य हेतु डाइट को मेन विथ मशीन हेतु बजट आवंटन करवाना। (अधिकतम 6 माह के लिए)
- प्रत्येक डाइट को विद्यालय की श्रेणीवार (राजकीय/गैर राजकीय/राजकीय संस्कृत/निजी संस्कृत/मदरसा) सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवाना।

9. शिक्षा विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व :-

- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने संभाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ निरन्तर राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।
- उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ, शिक्षा संकुल जयपुर/निदेशालय प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर द्वारा परीक्षा की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को सहयोग करना।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्राचार्य, डाईट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश-निर्देश जारी करेंगे।
- जिला शिक्षा अधिकारी (मु.). माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी (प्राचार्य डाईट) से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्राचार्य, डाईट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार आदेश जारी करेंगे।

10. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्स) के कार्य एवं दायित्व :-

- प्राचार्य, डाईट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन, संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबंधन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रभारी अधिकारी, गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक, अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे।
- निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, RSCERT, उदयपुर एवं कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के निर्देशानुसार परीक्षा (मूल्यांकन) से सम्बन्धित समस्त कार्यों में सक्रिय भूमिका अदा करना।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

- प्रश्न पत्र बुकलेट्स एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण कराना।
- परीक्षा के दौरान चार उड़न दस्तों का गठन कर (एक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दो प्राचार्य डाइट व एक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के नेतृत्व में) परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
- परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/मैपिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा) से सहयोग प्राप्त करना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उक्त कार्य करवाना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन कर समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।
- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण/मैपिंग CBEO के माध्यम से करवाना एवं मॉनिटरिंग करना।
- CBEO के माध्यम से तैयार पैनेल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।
- परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त **प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका** CBEO के माध्यम से विद्यालयों को वितरित करना।
- परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करना।
- जारी **प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका** के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने अथवा त्रुटिपूर्ण स्थिति में परीक्षार्थी एवं संस्था प्रधान के लिखित आग्रह पर कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा/प्राशि/पंविप/5-8/विविध/2022 दिनांक: 29/03/2023 में प्रदत्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति सशुल्क (100रु) जारी करना।
- समय-समय पर निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर, कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
- मूल्यांकन व्यवस्था एवं परीक्षा आयोजन हेतु मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों हेतु यथावश्यकता दिशा-निर्देश जारी करना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय के शुल्क जमा होने पर विद्यार्थियों की समेकित सूची जारी करवाना।
- प्रमाण-पत्र सह ग्रेड तालिका में त्रुटि पूर्ण स्थिति यथा- परीक्षार्थी नाम,जन्मतिथि, माता,पिता का नाम, फोटो आदि संशोधन की स्थिति में परीक्षार्थी/अभिभावक/संस्थाप्रधान के लिखित आग्रह पर प्राचार्य डाइट संशोधित कार्य संपादित करेंगे।

11. **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-**

- ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे।
- मूल्यांकन (परीक्षा) के राज्य स्तरीय अधिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्राचार्य,डाइट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाना।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

- ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग/निर्धारण कर सूचना डाईट को प्रेषित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु)
- प्राप्त प्रश्न पत्र बुकलेट एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने/चौकी पर सुरक्षित रखवाना।
- मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल जॉच कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैंपल जॉच करवाना।
- पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./केन्द्राधीक्षक जो कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत् पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।
- परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र/पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./केन्द्राधीक्षक के माध्यम से करना।
- अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र बुकलेट को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक/पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ.के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 (कक्षा-5) सेल का गठन किया जाएगा, जो वर्ष पर्यन्त परीक्षा संबंधी कार्य संपादित करेगी।
- परीक्षा के दिन अपने परिक्षेत्र में केन्द्राधीक्षकों द्वारा सीलबंद प्रश्न पत्र बुकलेट पैकेट को थाने से सुरक्षित परीक्षा केन्द्र तक लाने की समस्त प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए रिकॉर्ड संधारित करवाना।

12. मूल्यांकन (परीक्षा) के लिए समितियों का गठन :-

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 के सफल संचालन एवं नियन्त्रण हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का निम्नानुसार गठन किया जायेगा -

परीक्षा संचालन समिति 33 जिला डाईट्स व्यवस्थानुसार

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष/पर्यवेक्षक
2.	प्राचार्य डाईट	सदस्य सचिव
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. (मनोनीत-1)	सदस्य
7.	प्रभारी अधिकारी, कक्षा 5 परीक्षा, डाईट	सदस्य
8.	सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार (मनोनीत)	सदस्य

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

- इस समिति की बैठक सत्र में दो बार आवश्यक रूप से आयोजित की जावे। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी की जा सकती है।
 - परीक्षा आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं के लिए डाईट द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति का अनुमोदन करवा लिया जावे।
 - प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5) 2025 की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति' का गठन किया जावे।
- इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाईट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।)

ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (CBEO द्वारा चयनित-1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्थाप्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्थाप्रधान, रा.उ.प्रा.वि.(जि.शि.अ.मु.प्रा.शि.द्वारा मनोनीत -2)	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

13. प्रवेश योग्यताएं एवं क्षेत्राधिकार:- किसी भी राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन में भाग लेंगे। संस्थाप्रधान का यह दायित्व होगा कि वह अपने विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

14. परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण:-

- परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण इस तरह से किया जाये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केन्द्र निर्धारित हो उसकी दूरी सम्बन्धित विद्यालय से 4 कि. मी. से अधिक ना हो। यदि किन्ही परिस्थितियों में केन्द्र परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा उपरान्त जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, यथासम्भव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जावे, जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं।

15. संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र:-

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केन्द्र होगा, उसी को मूल्यांकन केन्द्र भी माना जायेगा।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या एवं केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम ना हो।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

16. आवेदन एवं मूल्यांकन (परीक्षा) व्यवस्था शुल्क:-

- **मूल्यांकन व्यवस्था शुल्क:-** कार्यालय, निदेशक , प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान, के पत्रांक : शिविरा/प्रा.शि./पंविप/प्रा.शि.पू.प./दिशा निर्देश/2022 दिनांक :-14/01/2023 के सन्दर्भ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानानुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा किन्तु मान्यता प्राप्त गैर-राजकीय विद्यालयों से प्रति परीक्षार्थी 50/- रुपये की दर से राशि ली जाएगी। उक्त राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी, बल्कि मान्यता प्राप्त गैर-राजकीय विद्यालय इसे वहन करेंगे। उक्त राशि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा **अध्यक्ष, डाईट विकास एवं प्रबन्धन समिति** को जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रेषित की जाएगी।
- **मूल्यांकन व्यवस्था:-**
मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र से अधिकतम 15 कि.मी. की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

17. मूल्यांकन पत्रकों की जाँच व्यवस्था:-

- मूल्यांकन कार्य हेतु DIET/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे।
- ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक की देखरेख में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) 2025 के प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन कार्य करवाया जायेगा एवं मूल्यांकनकर्ता प्राप्तांक अपने स्टाफ लॉगिन एवं पासवर्ड से सीधे पोर्टल पर अपलोड करेगा।

18. ग्रेडिंग स्केल :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) 15 सितम्बर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा-5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा-5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा-

स्केल	81-100	61-80	41-60	33-40	0-32
ग्रेड	A	B	C	D	E

- ग्रेड (ई) प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात् पूरक परीक्षा देनी होगी।
- पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15.09.2020 के अनुसार आगामी कक्षा में कक्षोन्नत किया जाएगा।
- कक्षा 5 के लिए मूल्यांकन हेतु दक्षता आधारित प्रश्न बनाये जायेगे।
- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

19. सत्रांक निर्धारण :-

- राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के क्रमांक: प. 17(30)प्राशि/2017-03839 दिनांक 29.08.2024 एवं कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के क्रमांक : शिविरा माध्यमिक/गुण एवं प्रशि अनु/गुण प्र/परीक्षा 61196/2024-25 दिनांक 05.09.2024 की अनुपालना में विद्यार्थियों के सत्रांक निर्धारण में वृक्षारोपण अंकीय प्रावधान के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
- राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक : एफ 17(1) एड्यू - 1/लर्निंग लॉस / मिस / 2022-18962 - पार्ट फाइल(2) 6431197 जयपुर दिनांक 5.11.2024 के आदेशानुसार पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन कार्यक्रम (कक्षा 3 से 8) के आधार पर ऐसे विद्यालय जिसमें लागू हो में सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 अ के अनुसार होंगे।
- किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक विषय में 5 प्वाइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जायेगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर समेकित ग्रेड युक्त प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इसमें सी.जी.पी.ए. का प्रावधान नहीं होगा।
- आर.टी.ई. एक्ट के प्रावधानानुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंको का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।
86 से 100 तक - 5 अंक
76 से 85 तक - 4 अंक
71 से 75 तक - 3 अंक
60 से 70 तक - 2 अंक (केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्था प्रधान द्वारा उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो)।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2(अ)

(विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु)

विषय—हिन्दी,अंग्रेजी,गणित.....

क्र स	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया				प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां					सत्रांक			
	अधिगम क्षेत्र	लिखित आकलन (SA-1, SA-2)/पेन पेपर टेस्ट	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन	नियमितता एवं समयबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नो बैग डे गतिविधियां	वृक्षारोपण	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (सर्वयोग का 15 %)	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
	अंक	10	10	10	20	10	9	9	10	10	2	100	15	5	20	
	नाम छात्र/छात्रा															
विषय— पर्यावरण अध्ययन एवं अन्य विषय																
अंक	10	10	10	20	10	7	9	10	10	4	100	15	5	20		
नाम छात्र/छात्रा																

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

अन्य विद्यालय जहाँ पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन कार्यक्रम (कक्षा 3 से 8) लागू न हो उनमें सत्रांक निर्धारण :-सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन निम्न प्रकार रहेगा-

1. उपस्थिति के लिए 5 अंक
2. SA -1 व SA -2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण तथा अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक (प्रपत्र 2ब में दी गई तालिकानुसार)

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2(ब)

(विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु)

विषय- हिन्दी,अंग्रेजी,गणित,.....

क्र स	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया				प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि		व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां					सत्रांक			
	अधिगम क्षेत्र	लिखित आकलन (SA-1, SA-2)/पेन पेपर	पोर्ट फोलियो स्थिति	चैक लिस्ट अंकन	अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां	नियमितता एवं समयबद्धता	वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता	नो बैग डे गतिविधियां	वृक्षारोपण	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (सर्वयोग का 15 %)	उपस्थिति	योग सत्रांक	विशेष विवरण
	अंक	10	10	10	20	10	9	9	10	10	2	100	15	5	20	
	नाम छात्र/छात्रा															
	विषय- पर्यावरण अध्ययन एवं अन्य विषय															
	अंक	10	10	10	20	10	7	9	10	10	4	100	15	5	20	
	नाम छात्र/छात्रा															

Signature valid

नोट :- इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए एवं इसकी सहायता से सत्रांक की ऑनलाइन फीडिंग की जाये।

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

विद्यालय स्तर पर सत्रांक निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं –

- शिक्षण अधिगम एवं कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया :- विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन(SA-1 व SA-2) पोर्टफोलियो स्थिति, चेकलिस्ट अंकन, आकलन 1 के अंक तथा टिप्पणियों के आधार पर।
- प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता व समयबद्धता, वर्तनी उच्चारण एवं लिखावट सुधार के आधार पर।
- व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ – व्यक्तिगत गुण व अभिवृत्तियों, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता, नौ बेग डे गतिविधियाँ, वृक्षारोपण आदि विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर।
- परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में:- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने एवं संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना की जायेगी।

20 अन्य दिशा-निर्देश :-

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2025 जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राजपत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।
- केवल नियमित विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन (परीक्षा) में बैठ सकेंगे। स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है
- भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे। प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में होंगे। जिसमें दिए गए स्थान पर परीक्षार्थियों को उत्तर लिखना होगा।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) अपनी टीम के साथ परीक्षा के प्रत्येक चरण के नियमबद्ध, समयबद्ध, सुव्यवस्थित व सुचारु संचालन के लिए अधिकृत तथा उत्तरदायी अधिकारी होंगे।
- श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित, दृष्टिहीन(Blind), सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia), मानसिक पक्षाघात ग्रस्त,सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (polio) लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb), मानसिक विमंदता (एम.आर.) एवं ऑटिज्म से पीड़ित परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
- हाथ से निःशक्त व लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर विद्यार्थी को भी 60 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इन विद्यार्थियों को श्रुतलेखक (Writer) भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
- ऐसा श्रुतलेखक विद्यार्थियों की कक्षा से कम से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुतलेखक की अनुज्ञा/अनुमति केन्द्राधीक्षक द्वारा जारी की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पृथक से बैठक व्यवस्था की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) में मुख्य चार विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन) के अध्ययन का प्रावधान है। सामान्य विद्यालयों में इन्हीं विषयों का अध्यापन कार्य संपादित होता है। विशेष/अतिरिक्त विषय (उर्दू, संस्कृत, सिंधी) के अंक /ग्रेड निर्धारण समेकित ग्रेड (Over all Grade) में सम्मिलित न होकर पृथक से प्रदर्शित होंगे। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2025 हेतु मुख्य परीक्षा मूल्यांकन में मुख्य चार विषयों के अंक निर्धारण/ग्रेड निर्धारण का प्रावधान किया जाता है। कला शिक्षा, कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए अंक प्रविष्टि (100 अंक में से) विद्यालय स्तर से किया जाने का प्रावधान निर्धारित है।
- कला शिक्षा, कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर 5 प्वाइंट स्केल आधारित मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.17(30)प्राशि/2017 दिनांक 21.01.2025 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जो छात्र 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं (परीक्षा में), उन्हें विशेष कक्षाएँ लगाकर 40% से ज्यादा अंक लाने की स्थिति में लाया जावे। उसके लिए स्कूल स्तर पर परीक्षा ली जावे।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2025 मूल्यांकन के परिणाम की घोषणा उपरान्त पुनर्गणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाईट द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।
- **पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि** :- परीक्षा परिणाम घोषणा से 09 दिवस के भीतर।
- डाईट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य सम्पादन हेतु समयावधि:- आवेदन की अन्तिम तिथि से 10 दिवस के भीतर।
- पुनर्गणना पश्चात् ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रस्ताव 7 दिवस के भीतर कार्यालय पंजीयक को प्रेषित करना।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2025 /पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 3 रु/प्रति कॉपी मानदेय देय है। जिसका बजट आवंटन डाईट के बजट मद में राज्यमद के उपमद-42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा।
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2025 परीक्षा संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों को स्टेशनरी एवं अन्य खर्चों हेतु 2000/- (अक्षरे रुपया दो हजार मात्र) प्रति केन्द्र को एकमुश्त राशि देय प्रस्तावित हैं। जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद-42 द्वारा होगा तथा पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- डाईट, जि.शि.अ. (मु.) प्रा.शि./मा.शि. (मु.), ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ एवं आर.एस.सी.ई.आर.टी. उदयपुर के कार्यालयों में परीक्षा एवं प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे। सम्भाग स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालयों में भी नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे।
- **सानुग्रह अंक** - न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगा।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved

- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5), 2025 के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी आवश्यक है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जाये :-
 1. प्रश्न पत्र बुकलेट प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में यदि थाना परीक्षा केन्द्र के नजदीक ना हो तो नजदीक की पुलिस चौकी में और यदि पुलिस चौकी भी नजदीक न हो तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ विद्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में प्रश्न पत्र बुकलेट रखने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर प्रश्न पत्र बुकलेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे।
 2. प्रश्न पत्र बुकलेट्स के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरती जावे।
 3. प्रश्न पत्र बुकलेट्स का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया जाये। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र बुकलेट्स के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने दिये जायें।
- प्रश्न पत्र बुकलेट पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.30 घण्टे होगा।

उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.02.12 17:31:25 IST
Reason: Approved